उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या:22/2022/ 147/ 1357297/12-2002/5/2021
लखनऊ: दिनांक: 23 मार्च, 2022

कार्यालय-आदेश

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष 4401-फसल कृषि- कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-0401-खाद्यान्न/ दलहन/ तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में प्राविधानित धनराशि रू. 26000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू. 5000.00 लाख की (पचास करोड़ रूपये मात्र) की धनराशि की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जाएगा।।

2. प्रश्नगत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के रबी फसल में वितरित किये गये बीजों के सापेक्ष ही किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही मदों पर किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा।

4. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

6. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

7. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश का होगा।

9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10. धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11. वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का दायित्व होगा।

12. वर्तमान में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो, यह कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सुनिश्चित किए जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाएगा।

13. स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष-4401-फसल कृषि- कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-0401-खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जाएगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या: ई-1-3675-दस-2021-22, दिनॉक 22 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

(राजेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:22/2022/147/ 1357297/12-2002/5/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: एस0एफ0/2032-.जी/4401-बजट/2021-22, दिनॉक 03 मार्च, 2022 के संदर्भ में,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
7. गार्ड फाईल/यूपी.जीओवी.इन पर अपलोड किए जाने हेतु।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।